कार्यालय अधिष्ठाता एंव मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी मेडिकल कालेज सोसायटी,भोपाल

क्रमांक /एम0सी0/15/2016 भोपाल, दिनांक / 6/2016

प्रति,

आयुक्त ,
जनसंपर्क विभाग
बाणगंगा, टी.टी.नगर
भोपाल ।

विषयः— निविदा सूचना प्रकाशन बावत।

00000

विषयान्तर्गत लेख है कि गांधी चिकित्सा महाविंद्यालय एवं उससे संबंद्ध हमीदिया/सुल्तानिया महिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रण की 5 प्रतिया संलग्न कर आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया निविदा आमंत्रण राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 3–3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कर एक–एक प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करे।
संलग्नः— 5

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,भोपाल।

प्रतिलिपि :—

1. संभागायुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल ।
3. संचालक,चिकित्सा शिक्षा म0प्र0,भोपाल ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,भोपाल।

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति, भोपाल

क्र.   /एम.सी./15/2016   दिनांक ..../06/2016

निविदा

गांधी चिकित्सा महाविघालय उससे संबद्ध चिकित्सालयों एवं छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें आन लाईन राशि रू. 5000/– भुगतान कर www.mpeproc.gov.in की साईड पर लांक आन कर प्राप्त कर सकेगे। गांधी चिकित्सा महाविघालय भोपाल की वेबसाइट www.gmcbhopal.net से निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तो का अवलोकन किया जा सकता है।

स क्र	विवरण	निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्री–विड मीटिंग	भरी हुई निविदायें जमा करने की तिथि	निविदायें खोलने की तिथि
1	सुरक्षा व्यवस्था हेतु	दिनांक 20.6.2016 को 4.00 बजे तक	दिनांक 14.06.2016 को 1.00 बजे	दिनांक 21.6.2016 को 12.00 बजे	दिनांक 22.6.2016 को 3.00 बजे

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय समिति, भोपाल

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल

सुरक्षा व्यवस्था हेतु

निविदा फार्म एवं शर्ते

2016–17

कीमत रू. 5000/–
(रूपये पांच हजार केवल)

I. TENDER NOTICE FOR SECURITY MANAGEMENT AT GANDHI MEDICAL COLLEGE, BHOPAL.

i) Sealed tenders are invited from the eligible tenderers to provide Security Management.

Name of Work	Earnest Money	Last Date of Receiving Sealed Tender Bids	Date of Tender Opening
Security Management At Gandhi Medical College & Hamidia Hospital Bhopal	**Rs. 3,50,000/- (Three Lacs Fiffty Thousand Only)**	**21.06.2016 Till 12.00 P.M.**	**22.06.2016 At 3.00 PM**

Important Dates

Sr. No	Credentials	Date and time
1	Purchase start date Purchase of tender end date Prebid meeting at Confrence hall, GMC Bhopal	02/6/2016 20/6/2016 till 4 PM 14/06/2016 at 1.00 PM
2	Bid submission end date **(The EMD Should be deposited at the office of dean GMC Bhopal on or before the last date and time of bid Submission)**	21/6/2016 12 pm
3	Bid opening 1. Technical bid opening 2. financial bid opening	 22/6/2016 3 pm 28/6/2016 3 pm

All tenderers are requested to read the tender document carefully as the terms and conditions, including the procedures to fill the tender form.

DEAN & CEO
Gandhi Medical College, Bhopal

Guidelines for Bidders :

i) For participation in e-tendering module of Gandhi Medical College; it is mandatory for prospective bidders to get registration on website www.mpeproc.gov.in . Therefore, it is advised to all prospective bidders to get registration by making on line registration fees payment at the earliest.

ii) Tender documents can be purchased only online and downloaded from website www.mpeproc.gov.in by making online payment for the tender documents fee Rs. 5000/-

iii) Service and gateway charges shall be borne by the bidders.

iv) Since the bidders are required to sign their bids online using class – III Digital Signature Certificate, they are advised to obtain the same at the earliest.

v) For further information regarding issue of Digital Signature Certificate, the bidders are requested to visit website www.mpeproc.gov.in . Please note that it may take upto 7 to 10 working days for issue of Digital Signature Certificate. **GANDHI MEDICAL COLLEGE** will not be responsible for delay in issue of Digital Signature Certificate.

vi) If bidder is going first time for e-tendering, then it is obligatory on the part of bidder to fulfill all formalities such as registration, obtaining Digital Signature Certificate etc. well in advance.

vii) Bidders are requested to visit our e-tendering website regularly for any clarification and / or due date extension.

viii) Bidder must positively complete online e-tendering procedure at www.mpeproc.gov.in`

ix) The tenderer must submit Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 3,50,000/- (Rs. Three Lacs Fifty Thousand Only) in the form of Demand Draft from any scheduled Bank drawn in favour of Dean & CEO, Gandhi Medical College Autonomous Society, Bhopal payable at Bhopal. Cheque / Cash / Bank Guarantee will not be accepted at any stage and in that case candidature will be rejected. **The EMD Should be deposited at the office of dean GMC Bhopal on or before the last date and time of bid Submission.** In the absence of EMD, the tender shall be summarily rejected. The earnest money shall be refunded to the unsuccessful tenderer after finalization of the contract. It shall be refunded to the successful tenderer on receipt of the performance security deposit. No interest is payable on the EMD.

x) GANDHI MEDICAL COLLEGE shall not be responsible in any way for delay /difficulties /inaccessibility of the downloading facility from the website for any reason whatever.

xi) For any type of clarification bidders can / visit www.mpeproc.gov.in and help desk contract no. 18002588684.

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय/संबद्व हमीदिया एवं सुल्तानिया चिकित्सालय/ हास्टल की सुरक्षा हेतु निविदा प्रारूप एवं शर्ते

निविदा शर्तेः–

अ. धरोहर राशिः–

1 निविदा प्रस्तुत करते समय अर्नेस्ट मनी रु. 3,50,000/– (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भोपाल शहर मे देय किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी मेडिकल कालेज सोसायटी, भोपाल के नाम का संलग्न करना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्ट मनी प्राप्त निविदा अमान्य की जावेगी। ठेका स्वीकृत होने पर यह राशि सिक्युरिटी डिपाजिट के रुप में जमा रखी जायगी। असफल निविदाकारों की अर्नेस्ट मनी वापिस की जावेगी परंतु यदि ठेका स्वीकृत होने के बाद निर्धारित समय में कार्य शुरु नहीं किया जाता है तो यह अर्नेस्ट मनी वापस नहीं की जावेगी व जप्त कर ली जायगी।

ब. तकनीकी शर्ते एवं योग्यताः–

2 निविदादाता सुरक्षा एजेंसी को प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी (रेगुलेशन)एक्ट का पंजीयन क्रमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।

3 सुरक्षा ऐजेंसी जिस क्षेत्र में स्थित है उससे संबंधित पुलिस थाने का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है ।

4 सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुरक्षा कार्य से संबंधित किसी भी एक संस्था से प्राप्त टर्नओवर प्रति वर्ष रु 1 करोड़ या अधिक का होना अनिवार्य है।

5 सुरक्षा एजेंसी मे कम से कम 170से 180 कार्यशील सुरक्षकर्मी होना अनिवार्य है।

6 वृहद चिकित्सा संस्थाओं/समकक्ष वृहद संस्थाओं की सुरक्षा का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। उपरोक्त कार्य के अनुभव की सूची मय सबंधित प्रमाणित दस्तावेज के प्रस्तुत करनी होगी। जिसमें वर्तमान नियोक्ता द्वारा उनके यहॉ पिछले दो वर्ष का कार्य का संतोषजक होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाये।

7 निविदादाता को सेवा कर प्रदाता के रूप में संबंधित कार्यालय में पंजीयत होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि सेवाकर हेतु कोई छूट प्राप्त हो तो संबंधित विभाग का तदाशय का प्रमाणपत्र लगाना होगा।

8 निविदा के साथ निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तिय वर्ष 2014–15 की आयकर विवरणी तथा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 का आयकर विभाग द्वारा जारी आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयकर/अन्य कर बकाया न होने की घोषणा शपथ द्वारा पत्र नोटरी से सत्यापित करा कर देना होगा।

9 सुरक्षा एजेंसी संस्था की वर्षांत 2013, 2014, व 2015 तथा यदि उपलब्ध हो तो वर्ष 2015 की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की स्व–प्रमाणित फोटोप्रति लगाना अनिवार्य है। साथ ही उपरोक्त एकाउन्ट शीट के आधार पर सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए कितना भुगतान किया गया इसका स्वयं द्वारा तैयार किया गया संस्थावार विवरण एवं जानकारी सही होने का घोपणा पत्र भी लगाना अनिवार्य है।

10 **(अ)** फर्म के पास शैक्षणिक रूप से योग्य एवं चरित्रवान सुरक्षाकर्मी उपलब्ध होना चाहिये एवं उनको सुरक्षा कार्य पर लगाने के पूर्व उनका पुलिस सत्यापन प्राप्त कर अधिष्ठाता सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल को उपरोक्त जानकारी सूचित करने के उपरांत ही कार्य पर लगाया जा सकेगा। इसका उल्लंघन होने पर प्रतिकर्मी प्रतिदिन रु. 500.00 का दंड लगाया जावेगा। दंड की वसूली ठेकेदार को देय भुगतान से की जावेगी एवं ऐसे सुरक्षा कर्मी को तत्काल कार्य से हटाकर अन्य सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था उपरोक्तानुसार करना होगी ।

(ब) निविदा कार्य की सुरक्षा हेतु संस्था के पास आई. एस. ओ. प्रमाण–पत्र होना चाहिये ।

11 फर्म, श्रम एवं अन्य वैधानिक कानून पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक सभी पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। फर्म को कार्य पर रखे गये कर्मचारियों के संबंध में श्रम कानूनों समय–समय पर जारी संशोधन यदि कोई हों, सहित का पालन करना होगा एवं प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगा तथा समस्त श्रम नियमों एवं उनकें अन्तर्गत जमा होने वाली राशि जैसे :– ई. पी.एफ./ई.एस.आई/सर्विस टैक्स एवं भविष्य में लागू होने वाले अन्य कोई टैक्स विधि अनुसार लागू होते है तो उसके जमा करने की जिम्मेदारी भी स्वयं निविदाकार की होगी। संस्था इसके लिये कोई अलग से भुगतान नहीं करेगी ।

12 तकनीकी बिड में अगर निविदाकार द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दी जाती है तो अधिष्ठाता सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविधालय, भोपाल म. प्र. को अधिकार होगा कि वह निविदा को तत्काल अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात कर अन्य निविदाकार जो तकनीकी आधार पर द्वितीय योग्यता रखता होगा, पर विचार किया जा सकेगा, जिसके लिये निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

13 बैंक गांरटी रु. 10,00,000/–(रुपये दस लाख) निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। जो कि गांधी चिकित्सा महाविधालय के फेवर में होगी।

14 निविदाकार निविदादाता के साथ पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी विवाद में लिप्त न हो, यदि विवाद हो तो उसका पूर्ण विवरण निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

15 इस ठेके के संबंध में कार्य पर रखे जाने वाले सुरक्षा कर्मचारियों को निविदाकार द्वारा स्वयं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं किसी भी स्थिति में गैर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी, सुरक्षा सेवा हेतु मान्य नहीं किये जायेंगे। गैर प्रशिक्षित कर्मचारी सुरक्षा में लगाये जाने पर प्रथमतः उस सुरक्षा कर्मी का वेतन भुगतान पाने की पात्रता निविदाकार को नहीं होगी तथा निविदा शर्तों के विपरित कार्य करने के लिये प्रतिकर्मी प्रतिदिन रु. 500/– की दर से दंड लगाया जाकर निविदाकर को देय राशि में से वसूल किया जावेगा।

16 निविदाकार द्वारा पिछले दो वर्ष में जिन नियोजकों को सेवा प्रदान की जा रही है, उनके द्वारा जारी कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। इस आशय की सूची भी तैयार कर एवं निविदाकार के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगी।

17 फर्म से स्त्रोत पर नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती योग्य होगा। निविदाकार को आयकर का **पेन क्रमांक** उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।

18 संस्था को नियमित रूप से संचालित कार्यालय नाम, पता एवं सहायता हेतु उपलब्ध अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ आदि की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

स. <u>अन्य सामान्य शर्तेः–</u>

19 **निविदा में तकनीकी रूप से योग्य घोषित फर्मों की ही मूल्य संबंधी बोली (प्राईस बिड) खोली जायेगी अतः आवेदक निविदाकार अर्नेस्ट मनी (प्रपत्र–एक), तकनीकी बोली (प्रपत्र–दो) एवं मूल्य की बोली (प्रपत्र–तीन) आनलाईन प्रस्तुत करेगे।**

20 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निर्धारित मूल्य के शासकीय स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा कार्य की अवधि में प्रत्येक भुगतान के समय भुगतान राशि की 10 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधि बतौर काटी जावेगी, जिसका भुगतान ठेका समाप्ति पर, जो भी बकाया होगा, के समायोजन कें उपरांत किया जायगा। यदि बकाया का भुगतान ठेका एजेंसी द्वारा नहीं किया जायेगा तो इस सुरक्षा निधि में से राशि समायोजन करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविधालय भोपाल को होगा।

21 निविदा काल की अवधि स्वीकृत दिनांक से प्रथमतः 01 वर्ष की होगी कार्य संतोषजनक पाए जाने पर इस अवधि को कुल 3 साल तक अथवा नया ठेका स्वीकृत होने तक जो भी पहले आये, तक के लिए निरंतर रखा जा सकता है। सुरक्षागार्डों की अनुमानित संख्या लगभग आवश्यकता के आधार पर 170 से 180 के बीच या उससे अधिक या कम भी हो सकती है एवं यह संख्या आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है।

22 संविदा शर्तों के उल्लंघन एवं सुरक्षा कर्मियों के आचरण संबंधी उल्लंघन होने पर संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक की अनुशंसा पर प्रति प्रकरण रु. 2000/– अधिकतम रू.10000.00 तक दंड लगाने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल को होगा। जिसकी वसूली निविदाकार के आगामी भुगतान से की जावेगी ।

23 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी का कम से कम 10 वीं पास होना अनिवार्य होगा तथा हिंदी/अंग्रेजी का ज्ञान हो।

24 सुरक्षाकर्मियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उन्हें कार्य पर लगाने के पूर्व आवश्यक रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। मेडिकल फिटनेस कराने हेतु जिला चिकित्सालय से फिटनेस प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिय। सामान्यतः सुरक्षाकर्मी की उम्र 40 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। सुरक्षा सुपरवाइजर का सीना भी कम से कम 76 सेंमी तथा बजन कम से कम 50 किलो होना चाहिये। सुरक्षा कर्मियों की न्यूनतम उंचाई 5 फिट 5 इंच हो। सुरक्षा कर्मी सुपरवाईजर को कम से कम स्नातक पास होना अनिवार्य है एवं सामान्य कद कम से कम 5 फिट 6 इंच होना चाहिये । यदि कोई भी नया गार्ड की नियुक्ति की जाती है तो उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

25 निविदाकार फर्म की यह जबाबदारी होगी कि अपने सुरक्षा कर्मचारियों को वर्दी, मौजा, सीटी, जूता, रेनकोट तथा सुरक्षा सामग्री आदि उन्हें उपलब्ध कराये। वर्दी का रंग निविदाकार द्वारा स्वयं घोषित किया जायेगा एवं ठेका मिलने पर तदानुसार वर्दी में सुरक्षाकर्मी रखना होगे। डयूटी के समय प्रत्येक कर्मचारी को नेमप्लेट भी लगाना होगी। सुरक्षा गार्ड युनीफार्म में होना आवश्यक है यदि कोई भी सुरक्षा गार्ड युनीफार्म में नहीं पाया जाता है तो प्रति सुरक्षा गार्ड 1000.00 दंड स्वरूप निविदाकार से वसूली की जावेगी।

26 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को सुरक्षा हेतु डंडा, सीटी, अन्य आवश्यक हथियार उपलब्ध कराना निविदाकार के लिये अनिवार्य होगा। वर्दी पर संस्था के नाम का उल्लेख होना आवश्यक होगा। सुरक्षा कर्मियों द्वारा रखा जाने वाला कोई हथियार, जिसके लिये विधि अनुसार लायसेंस लेना आवश्यक है तो, ऐसा लायसेंस प्राप्त करने के बाद ही सुरक्षा कर्मी संस्था में कार्य हेतु उपस्थित हो सकेगे। यदि इसका उल्लघंन किया जाता है तो समस्त जवाबदारी निविदा कार संस्था की होगी।

27 जहां तक संभव हो सुरक्षा सुपरवाईजर तथा सुरक्षाकर्मी किसी भी एक स्थल पर दो माह से ज्यादा डयूटी नहीं करेगें तथा समस्त सुरक्षाकर्मियों को बारी बारी से कार्य क्षेत्र बदलकर डयूटी लगाना सुरक्षा एजेंसी का दायित्व होगा। सुरक्षाकर्मियों को पार्किंग स्थल पर पार्क किये गये समस्त वाहनों की चैकिंग करना होगी तथा वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े हों यह सुनिश्चित करना होगा।

28 निविदादाता यदि निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था करने में असफल होता है अथवा वह स्वयं ठेका छोडता है तो उस स्थिति में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल द्वारा बिना किसी भी पूर्व सूचना के ठेका समाप्त कर दिया जावेगा एवं शेष अवधि का ठेका द्वितीय न्यूनतम बोली लगाने वाले निविदा दाता जो तकनीकी बिड में भी सफल रहा हो, को दिया जा सकेगा। ऐसे संधारण ठेके पर यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके के अन्तर राशि की वसूली ठेका छोडने वाले या ठेका कार्य में असफल निविदादाता से वसूल की जावेगी, साथ ही उनकी सिक्यूरिटी राशि भी जब्त कर ली जावेगी।

29 सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सुपरवाइजर, ठेकेदारी संस्था द्वारा नियुक्त किये जावेगें तथा भुगतान ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा। सुपरवाइजर जो क्षेत्र उन्हें सौंपा गया है वहां के चिकित्सालयों के अधीक्षक एवं महाविद्यालय में भवन संरक्षक/वार्डन एवं मुख्य वार्डन गांधी चिकित्सि महाविद्यालय को रिपोर्ट सीधे ही करेगें तथा उनकी संतोषजनक रिर्पोट एवं सत्यता की जांच उपरांत भुगतान किया जावेगा। सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा सुपरवाइजर का भुगतान ठेकेदार द्वारा अधीक्षक एवं भवन संरक्षक की संतोषजनक कार्य की अनुशंसा के साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख तक देयक प्रस्तुत करना होगा अन्यथा बिलंब के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मियों को समय पर भुगतान करना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

30 फर्म की किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालयों, होस्टल आदि को अथवा उसकी सार्वजनिक संपत्ति को किसी प्रकार की हानि होने पर निविदा दाता फर्म से वसूली योग्य होगी एवं यह वसूली जमा की गयी सिक्युरिटी राशि व धरोहर राशि एवं फर्म के देयक की राशि में से नियमानुसार वसूल की जा सकेगी। धरोहर राशि एवं सिक्युरिटी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

31 सभी विवादों के निपटारे हेतु पंच निर्णय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल का अंतिम एवं बंधनकारी होगा। कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर अनुबंध को बिना पूर्व सूचना व बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल का होगा।

32 निविदाकार राशि रु. 5000/– (रुपये पांच हजार मात्र) का आन लाईन भुगतान कर www.mpeproc.gov.in की साईड पर लांक आन कर प्राप्त कर सकेगा ।

33 **निविदा में तकनीकी रूप से योग्य घोषित फर्मों की ही मूल्य संबंधी बोली (प्राईस बिड) खोली जायेगी अतः आवेदक निविदाकार अर्नेस्ट मनी (प्रपत्र–एक), तकनीकी बोली (प्रपत्र–दो) एवं मूल्य की बोली (प्रपत्र–तीन) आनलाईन प्रस्तुत करेगे ।**

34 **यदि निविदादाताओं के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण आपसी चर्चा कर किया जावेगा तथा अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति निविदाकार एवं निविदादाता के बीच उत्पन्न होने पर अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल सह संभागायुक्त भोपाल संभाग भोपाल Arbitrator होंगे।**

35 निविदाकर्ता को ई.पी.एफ./ई.एस.आई./सर्विस टैक्स आदि की राशि, उसके द्वारा कार्य पर लगाये गये सभी कर्मियों हेतु नियमानुसार संबंधित कार्यालयों में उनके द्वारा निर्धारित दिनांकों तक प्रतिमाह जमा कराना होगी। इसके प्रमाण स्वरुप सभी जमा चालानों की प्रतियां अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल को प्रस्तुत करना होगी ऐसा करने में असफल होने पर समस्त जिम्मेदारी निविदाकार फर्म की होगी ।

36 राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सभी करों एवं शुल्कों की दरों के बारे में प्रमाण के तौर पर केन्द्र एवं राज्य शासन के संबंधित आदेशों की स्व–प्रमाणित फोटोप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

37 निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी एक शर्त का पालन नही किया जाता है तो उसकी निविदा प्रतिस्पर्धा से बाहर रखी जा सकेगी। जिसके लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी रहेंगी तथा इस संबंध में किसी प्रकार पत्राचार नही किया जावेगा।

38 **निविदाकर्ता द्वारा प्रति सुरक्षाकर्मी प्रतिमाह की जो दर टेन्डर फार्म में अंकित की जावेगी, वह केन्द्र तथा राज्य शासन के सभी प्रकार के अंशदानों, टैक्सों, शुल्कों एवं सेवाकर आदि को मिलाकर होना चाहिये।**

39 कार्य संपादन के दौरान सुरक्षाकर्मी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना/मृत्यु आदि होने पर उसका पूर्ण दायित्व संबंधित निविदाकर्ता का होगा तथा उक्त हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान/मुआवजा इस संस्था द्वारा नही दिया जायेगा। सुरक्षाकर्मी की दुर्घटना/मृत्यु, आदि का बीमा आदि फर्म की जिम्मेदारी होगी।

40 ठेका प्रारंभ होने के बाद ठेकेदार को अपना प्रतिमाह का हमीदिया एवं सुल्तानिया चिकित्सालों का देयक हमीदिया एवं सुल्तानिया चिकित्सालयों के अधीक्षकों से तथा महाविद्यालय से संबंधित देयक भवन संरक्षक से तथा छात्रावासों के देयक संबंधित वार्डन एवं मुख्य वार्डन से सत्यापित करवाकर एवं संतोषजनक कार्य प्रमाणित करवाकर, प्रतिमाह अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अधीक्षकों, वार्डनों, भवन संरक्षक द्वारा सत्यापन के समय कार्य आदि के प्रति असंतोष व्यक्त करने पर अथवा शिकायत का उल्लेख होने पर देयक में से प्रति दिन प्रति टीप पर न्यूनतम रूपये 2000/– अधिकतम 10000.00 तक कटोत्री की जाकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

41 कोई भी सुरक्षाकर्मी किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेगा। नशे की स्थिति में पाये जाने पर तथा अभद्रता संबंधी तथा अन्य शिकायत प्राप्त होने पर तथा पुष्टि होने पर प्रबंधन द्वारा निर्देश देने पर उक्त सुरक्षाकर्मी को तत्काल सेवा से पृथक करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा। उसके स्थान पर अन्य कर्मचारी की व्यवस्था ठेकेदार संस्था द्वारा की जावेगी।

42 **निविदा प्रपत्र में केवल राशियां अंकित की जावेगी। उस पर किसी भी प्रकार की काटछांट, टिप्पणी या नोट या शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।**

43 उपरोक्त ठेके के संदर्भ में प्रत्येक प्रकरण में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविधालय भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

44 ठेकेदार द्वारा नियोजित सुरक्षा कर्मियों को बैंक के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा एवं इसका प्रमाण स्वरूप उन्हें आगामी देयक में बैंक में जमा का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

द. कर्तव्य एवं दायित्व–(संतोषजनक कार्य के मापदंड नियमानुसार होगें।)

45 24 घंटे सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीज के भर्ती के समय तथा मरीज की छुट्टी के समय सुरक्षा जांच करनी होगी तथा अस्पताल में स्टोब, गैस, हथियार, एवं अनावश्यक सामग्री, ज्वलनशीन पदार्थ खानपान की वस्तुओं (मरीज अथवा अटेंडर का खाना, चाय, दूध, फल तथा तैयार खाना आदि छोड़कर) इत्यादि के प्रवेश पर पाबंदी होगी।

46 सुरक्षाकर्मियों को संपूर्ण अस्पताल में लगातार भ्रमण कर, यह सुनिश्चित करना होगा कि एक मरीज के साथ एक ही परिजन उपस्थित रहे तथा यह देखना होगा कि कोई परिजन अस्पताल के अंदर खाना नहीं खा रहा हो, फिजूल न बैठा रहे अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त न हो, गंदगी न कर रहा हो।

47 सुरक्षा एजेंसी को अस्पताल परिसर में किसी झगड़े/मारपीट के मामले में तत्काल कार्यवाही कर चिकित्सकों, मरीजों एवं मरीजों के उपस्थित परिजनों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी तथा पुलिस से सहायता लेकर प्राथमिकी दर्ज कराना होगी। प्राथमिकी दर्ज कराना सुरक्षा एजेंसी का दायित्व होगा। उपरोक्त परिस्थिति पर 8 से10 सुरक्षा गार्डो की टीम घटना स्थल पर शीघ्र उपस्थित होना होगा ।

48 किसी प्रकार की निर्माण सामग्री उपकरण अन्य सामग्री महाविद्यालय, चिकित्सालय होस्टल परिसर में बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर पाए, यह जिम्मेदारी संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी। इस कार्य हेतु एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक वाहन का नबंर अंकित होगा तथा सामग्री/उपकरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग से संचालित होते है अतः निर्माण सामग्री प्रवेश के लिये 'लोक निर्माण विभाग' की अनुमति ली जा सकेगी। यदि कोई भी व्यक्ति अस्पताल में लगे एसी उपकरण कैमरा एवं अन्य कोई उपकरण सुधार के लिए आ रहा है तो उसको तब तक अनुमति न दी जाये जब तक अधीक्षक का कोई भी लिखित आदेश न हो , यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आपके देयक से की जावेगी ।

49 फर्म की जबावदारी रहेगी कि चिकित्सा महाविद्यालय, संबद्ध चिकित्सालयों, छात्रावासों एवं पूर्ण परिसर में कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रवेश न करे । यदि शंका होती है तो सुरक्षाकर्मी अधिकारियों, आगंतुकों द्वारा लाई गई सामग्री, ब्रीफकेस, बेग व उनके वाहनों की जांच कर सकते है। शंकास्पद व गैर कानूनी सामग्री पाये जाने पर सक्षम अधिकारियों को सूचित करेगे। ऐसी कार्यवाही करने में फर्म द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय को सहयोग देना अनिवार्य होगा।

50 दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक एवं सायंकाल 5 बजे से 6 बजे तक की समयावधि में रोगियों से भेंट करने वालों का समय निर्धारित रहेगा। इस अवधि में व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वीकृत निविदाकार फर्म की होगी।

51 सुरक्षाकर्मियों को बाहर से आने वाले मरीजों को तथा जरूरमंद मरीजों तथा परिजनों को हर प्रकार की मदद प्रदाय करनी होगी जैसे अस्पताल से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करना। इस हेतु चिकित्सक, दाई, आया, मैट्रन, लेब, किचेन, सफाई कर्मचारी इत्यादि समस्त स्टाफ से सामंजस्य बैठाकर मदद का कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा।

52 महाविद्यालय, चिकित्सालय परिसर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी संबंधित सुरक्षा एजेंसी की होगी एवं एजेंसी के तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायगा कि अस्पताल/महाविधालय/छात्रावासों के रास्तों में कोई व्यक्ति, रास्तों पर खड़े रहकर अवरोध उत्पन्न न करें। अस्पताल/ महाविद्यालय/छात्रावास परिसर में कुत्ते, गाय, भैंस आदि जानवर इत्यादि आने से /रहने से रोकने का दायित्व एजेंसी के सुरक्षाकर्मियों का रहेगा। सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रतिमाह दिनांक 25 तक संबंधित विभागाध्यक्ष/अधिकारी को लिखित में सूचना देनी होगी कि उक्त विभाग/स्थल पर कौन–कौन सुरक्षाकर्मी किस–किस पाली में तैनात किये जायेंगे। उस सूची के प्राप्त होने पर संस्था द्वारा नियुक्त सुरक्षा सुपरवाइजर द्व ारा सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति एवं किये गये कार्य का बिंदुवार सत्यापन की व्यवस्था कर, सत्यापित कर, एक प्रति सुरक्षा एजेंसी को एवं एक–एक प्रति अधीक्षक एवं अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविद्य ालय भोपाल को प्रस्तुत करेंगे।

53 सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा सुपरवाइजर यह भी देखेगें की यहां–वहां कोई गंदगी अथवा कचरा न फैलाये एवं यदि गंदगी अथवा कचरा फैलाया है तो उसे गदंगी करने अथवा कचरा फेकने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। फैले हुये कचरे एवं गंदगी की सूचना भी सफाई कर्मियों को देना होगी।

54 निविदाकार को हमीदिया चिकित्सालय एवं सुल्तानिया महिला चिकित्सालय में निर्धारित स्थान पर बायोमेट्रिक मशीन लगानी होगी । सुरक्षा कर्मियों को डुयूटी पर आने एवं जाने पर बायोमेट्रिक मशीन से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी । निविदाकार को जो उपस्थिति देगा वह बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ही तीनों पालियों में देना होगा । बायोमेट्रिक मशीन चिकित्सालय के चयनित अधिकारियों की देखरेख में होगी ।

55 सुरक्षात्मक दृष्टि से गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए सतत 24 घंटे कम से कम 6 सुरक्षा कर्मचारी प्रथक से उपस्थित रहे व किसी स्थान पर अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर वहां तत्काल सहायता के लिए पहुंच सके। इस हेतु ठेकेदार को उन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध कराना होगा एवं उस मोबाईल फोन की जानकारी सभी सुरक्षा पाइंट पर प्रदर्शित करना होगी साथ ही अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को भी सूचित करना होगा।

56. कार्य दायित्व सेवा शर्तो (Service level contract conditions) संलग्न **अनुलग्न–चार** अनुसार होगी जिनका पूर्ण पालन अनिवार्य है अतः कार्य दायित्व शर्तो (Service level contract conditions) मान्य होने का प्रमाणीकरण संलग्न करें। यह कार्य दायित्व शर्ते ठेकेदार एवं अधिष्ठाता सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति भोपाल के बीच संपन्न

होने वाले अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होंगी एवं इन्हें अनुबंध में शामिल समझा जायेगा।

57. उपरोक्त प्राप्त दरों पर संबंधित निविदाकारों से **'निगोसियेशन'** का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविघालय भोपाल को होगा।

58. निविदाकार द्वारा उनके कार्यालय के नाम एव ंपते का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। निविदाकार के पास उपलब्ध निगरानी तंत्र, जिसमें सुपरवाईजिंग स्टाफ आदि का विवरण हो, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।

59. प्राप्त निविदाओं को बगैर कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविघालय भोपाल को होगा।

60. सुरक्षा प्रदायकर्ता को आवश्यकतानुसार महिला सुरक्षा कर्मियों की सेवाये भी सुलभ कराना होगा।

61 निविदाकार यदि कार्य बीच में ही छोड़ना चाहता है तो उसे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल को दो माह पूर्व सूचना अथवा नवीन निविदा स्वीकृत होने का दिनांक जो भी बाद में हो तक कार्य सुचारू रूप से संचालित करना होगा।

62. निविदाकार द्वारा किसी भी राज्य में **ब्लैक लिस्ट** (काली सूची) में सम्मिलित नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र 10 रूपये के स्टाम पेपर नोटराइज कराकर देना होगा।

63. निविदाकार द्वारा कार्य छोड़ने के पूर्व अपना समस्त चार्ज दूसरे निविदाकार को सौंपने के पश्चात ही कार्य छोड़ने के पश्चात ही संस्था से कार्य मुक्त माना जायेगा।

64. निविदाकार का नियमित कार्यालय एवं उसे संचालन करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना होने का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

65. निविदाकार द्वारा सुरक्षा गार्ड एवं सुपरवाईजर के लिए समान रूप से सर्विस चार्ज के दर फाइनेसिंयल बिड में प्रस्तुत किया जावेगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविघालय स्वशासी समिति, भोपाल

प्रपत्र–एक

अर्नेस्टमनी राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में "अर्नेस्ट मनी दस्तावेज" उल्लेख करते हुए रखने हेतु

सुरक्षा ठेके हेतु जमा अर्नेस्ट मनी से संबंधित बैंक ड्राफ्ट का विवरण मय मूल बैंक ड्राफ्ट सहित निम्नानुसार है :–

क्रमांक	डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम	राशि रूपये	जारी होने का दिनांक

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम ....(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील......................

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र :– दो

निविदाकार द्वारा तकनिकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

निविदाकार का नामः–

	तकनीकी मापदण्ड	**निविदाकार की जानकारी**
1	अर्नेस्ट मनी रु. 3,50,000/– (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भोपाल शहर मे देय किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल के नाम का संलग्न करें। **(निविदा शर्त क. 1)**	
2	सुरक्षा एजेंसी को प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी (रेगुलेशन) एक्ट का पंजीयन कमांक तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र **(निविदा शर्त क.2)**	
3	सुरक्षा ऐजेंसी का संबंधित पुलिस थाने का पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रति **(निविदा शर्त क्र 3)**	
4	सुरक्षा एजेंसी को 1 करोड़ प्रतिवर्ष तक के कार्यों का विवरण एवं ठेके की राशि का विवरण **(सूची रूप में)** साथ में तत्संबंधी दस्तावेज भी लगाये जाये । **(निविदा शर्त क.4)**	
5	सुरक्षा एजेंसी 170से 180 कार्यशील सुरक्षाकर्मी उपलब्ध होने की जानकारी। **(निविदा शर्त क. 5)**	
6	वृहद चिकित्सा संस्थाओं/समकक्ष वृहद संस्थाओं में सुरक्षा कार्य का कम–से कम पांच वर्ष का अनुभव संबंधी दस्तावेज लगाना अनिवार्य है। **(वर्षवार सूची देवे)** जिसमें वर्तमान नियोक्ता द्वारा उनके यहॉ पिछले दो वर्ष का कार्य का संतोषजक होने का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाये। **(निविदा शर्त क. 6)**	
7	सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीयन होने का प्रमाण यदि छूट प्राप्त हो तो संबंधित विभाग का	

	तदाशय का प्रमाणपत्र लगावे । **(निविदा शर्त क्र. 7)**	
8	वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तिय वर्ष 2014–15 की आयकर विवरणी तथा कर निर्धारण वर्ष 2015–16 का आयकर विभाग द्वारा जारी आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र। आयकर/ अन्य कर बकाया न होने पर घोषणा पत्र नोटरी से सत्यापित। **(निविदा शर्त क्र. 8)**	
9	वर्षांत 2013, 2014, व 2015 तथा यदि उपलब्ध हो तो वर्ष 2016 की चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की स्व–प्रमाणित फोटोप्रति साथ ही उपरोक्त शीट में सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किये गये भुगतान की जो राशि का कुल योग एवं तदाशय का स्वहस्ताक्षरित घ ोपणापत्र लगाये । **(निविदा शर्त क्र. 9)**	
10	फर्म के पास शैक्षणिक रूप से योग्य चरित्रवान सुरक्षाकर्मी उपलब्ध है इस आशय का घोष्णा पत्र लगाना होगा। इसके अतिरिक्त आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र की जानकारी। **(निविदा शर्त क्र. 10 अ एवं 10 ब)**	
11	फर्म द्वारा पालन किये जाने वाले श्रम एवं अन्य कानूनों का नाम जैसे ई.पी.एफ./ई.एस.आई. /सर्विस टेक्स आदि के संबंध में फर्म का आवश्यक पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक तथा पंजियनों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियां। **(निविदा शर्त क्र. 11)**	
12	बैक गांरटी रूपये 10.00 लाख का विवरण। **(निविदा शर्त क्र. 13)**	
13	निविदाकार चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के साथ किसी विवाद में लिप्त न हो। इस आशय का घोषणा पत्र। **(निविदा शर्त क्र. 14)**	

14	निविदाकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना आवश्यक है इस हेतु स्वयं की सुविधा अथवा अन्य माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का स्पष्ट विवरण दिया जाय। **(निविदा शर्त क्र. 15)**	
15	निविदाकार द्वारा पिछले दो वर्ष में जिन नियोजकों को सेवा प्रदान की जा रही है उनके द्वारा जारी कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। **(निविदा शर्त क्र. 16)**	
16	फर्म से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर कटौती योग्य होगा। निविदाकार को आयकर का पेन क्रमांक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। **पेन क्रमांक** का उल्लेख करे व पेन कार्ड की सत्यापित प्रति लगाये। **(निविदा शर्त क्र. 17)**	
17	कार्य दायित्व सेवा शर्ते (Service level contract condition**s**) स्वीकार करने का प्रमाण–पत्र। **(निविदा शर्त क्रमांक–56)**	
18	निविदाकार का नियमित कार्यालय एवं उसे संचालन करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना होने का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। **(निविदा शर्त क्रमांक–64)**	
19	निविदाकार द्वारा निविदा की सभी शर्तें मान्य करने का घोषणा–पत्र संलग्न प्रस्तुत करें ।	
20	निविदाकार द्वारा किसी भी राज्य में **ब्लैक लिस्ट** (काली सूची) में सम्मिलित नहीं होने संबंधी घोषणा–पत्र 10 रूपये के स्टाम पेपर नोटराइज कराकर देना होगा। **(निविदा शर्त क्रमांक–62)**	

नोटः–शर्त– तकनीकी बिड में अगर निविदाकार द्वारा कोई भी असत्य जानकारी दी जाती है, तो अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविघालय भोपाल द्वारा तत्काल निविदा अमान्य/निरस्त कर दी जावेगी तथा सुरक्षा राशि (धरोहर राशि) राजसात की जायेगी।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम ....
(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील......................

फाइनेंशियल बिड हेतु प्रपत्र– तीन

प्रति,

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति, भोपाल।

विषयः– सुरक्षा व्यवस्था बाबत् निविदा।

महोदय,

आपके द्वारा ....(समाचार पत्र का नाम) में दिनांक......................... को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में आपके नाम का रू. 3,50,000.00 (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र) का ड्राफ्ट क्र................................दिनांक ....संलग्न कर निविदा प्रस्तुत है।

कमांक	बिन्दु	निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी का विवरण
1	संस्था का नाम, एवं पूर्ण पताः– मय प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी (रेगुलेशन) एक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र ।	
2	सुरक्षा सुपरवाईजर प्रति व्यक्ति प्रति पाली (8 घंटे) की प्रतिमाह दर (सभी दर,अंशदान एवं कर + एजेंसी द्वारा लिये जाने वाले शुल्क एवं सभी वैधानिक अंशदानों एवं करों को शामिल करते हुए। सभी दरो, शुल्कों, अंशदान एवं करों का प्रथक–प्रथक विवरण भी दिया जाय) 1. न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा	

	निर्धारित दिनांक ....की स्थिति में कुशल दर (न्यूनतम दर से कम नही) 2. ई. पी. एफ. (निविदाकार द्वारा दिया गया अंशदान) दिनांक ....की स्थिति में । 3. ई. एस. आई.(अंशदान दिनांक ....की स्थिति में) 4. सर्विस टैक्स (दिनांक ....की स्थिति में) 5. सर्विस चार्ज :– 6. सरल क्रमांक 1 से 5 तक का कुल योग :– नोट– सरल क्रमांक 1 से 5 तक जानकारी पृथक–प्रथक भरना अनिवार्य है ।	
3	सुरक्षा गार्ड की प्रति व्यक्ति प्रतिपाली (8 घंटे) प्रतिमाह की दर (सभी शुल्कों + करों को शामिल करते हुए। सभी शुल्कों, अंशदान एवं करों का प्रथक–प्रथक विवरण भी दिया जाय)	

	1. न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दिनांक ....की स्थिति में अकुशल दर (न्यूनतम दर से कम नही) 2. ई. पी. एफ. (निविदाकार द्वारा दिया गया अंशदान) दिनांक ....की स्थिति में । 3. ई. एस. आई.(अंशदान दिनांक ....की स्थिति में) 4. सर्विस टैक्स (दिनांक ....की स्थिति में) 5. सर्विस चार्ज :– 6- सरल क्रमांक 1 से 5 तक का कुल योग :– नोट– सरल क्रमांक 1 से 5 तक जानकारी पृथक–प्रथक भरना अनिवार्य है ।	

उपरोक्त राशियों में केन्द एवं राज्य शासन एवं स्थानीय शासन के सभी प्रकार के शुल्क एवं कर तथा विभिन्न अंशदान शामिल हैं और उनकी दरों के प्रमाण स्वरूप वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों की फोटो प्रतियां संलग्न है। इन शुल्को और करो को संबंधित प्राधिकारियो को प्रतिमाह जमाकर प्रमाण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मेरा होगा। टैक्स परिवर्तन होने पर या निविदा अवधि में नई दरें लागू होने पर भी सभी टैक्स भरने की जिम्मेदारी मेरी होगी तथा में उक्त अंकित राशि के

अलावा अन्य कोई राशि की मांग नही करूंगा। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी **65 शर्ते** मैंने पढ़ ली है, वह मुझे स्वीकार्य है।

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

दूरभाष कमांक ....

फैक्स कमांक ....

निविदा प्रपत्र का कमांक.....................................

निविदा प्रपत्र की बिकी का दिनाक..........................

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर................................

प्रपत्र –चार

<u>सुरक्षा हेतु निर्धारित स्थान</u>

क	स्थान
1	गांधी चिकित्सा महाविघालय भोपाल परिसर
2.	छात्रावास परिसर (छात्रावास ए , बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच,)
3.	हमीदिया चिकित्सालय भोपाल परिसर (कमला नेहरू चिकित्सालय में हमीदिया चिकित्सालय से संबंधित विभाग सहित)
4.	सुल्तानिया जनाना चिकित्सालय भोपाल परिसर
5.	अन्य आवश्यतानुसार

कार्य का स्वरूप :–

1. निविदाकार को उपरोक्त उपर वर्णित स्थानों में सुरक्षा संबंधी समेकित सेवा उपलब्ध कराना होगी एवं उपरोक्त स्थानों पर पूर्ण वैज्ञानिक तरीके एवं सुरक्षा निति कि अनुरूप न्यूनतम गार्ड संख्या में अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध कराना होगी।

2. उपरोक्तानुसार सुरक्षा करते समय उपर दर्शित स्थानों के भवन उनकी सभी फिटिग, एवं उनकी सभी चल एवं अचल संपत्ति, मशीनरी, उपकरण आदि, जो वहां स्थित हैं अथवा जो वहां अंदर लगे हुये हैं अथवा बाहर खुले में स्थिति है या अन्य प्रकार से उस क्षेत्र का हिस्सा है। उन सब की सुरक्षा करनी होगी ।

3. इसके अलावा उपर बाक्स में दिये गये सभी स्थानों पर कर्मचारियों, चिकित्सकों, जन–उपयोगी क्षेत्रों, चिकित्सालयों के वाहनों आदि की सुरक्षा करना होगी ।

4. पम्पिगं स्टेशन पानी की सप्लाई लाईन, ट्यूबवेल तथा छतों पर स्थित पानी की टंकियों, संयंत्रों एवं उसने संबद्य सभी पाईप लाईन, नल, वाल्व इत्यादि की भी सुरक्षा करनी होगी।

5. आंतरिक स्ट्रीट लाईट, बाउन्ड्रीवाल, प्ले ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, स्पोर्ट काम्पलेक्स तथा शासकीय वाहनों के गैरिज, गार्डन, लान, पेड–पौधें जो उपरोक्त परिसर में स्थित हैं कि सुरक्षा की भी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

6. उपरोक्त वर्णित मुख्य स्थान एवं सामग्री आदि के अलावा भी जो स्थान, सामग्री एवं अन्य कोई वस्तुयें चाहे उनका प्रकार कुछ भी क्यों न हो उपरोक्त परिसरों में अन्दर अथवा इनके खुले क्षेत्रों में स्थिति हों वे भी निविदाकार के सुरक्षा के अधीन होगी एवं किसी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी गांधी चिकित्सा महाविघालय का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

7. इस प्रकार निविदाकार को उपरोक्त परिसर की सभी प्रकार से जैसे चोरी, उठाईगीरी, तोड़फोड़, सेंधमारी, आदि से 24 घंटे सतत निगरानी कर सुरक्षा प्रदान करनी होगी ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल

कार्यालय अधिष्ठाता एंव मुख्य कार्यपालन अधिकारी

गांधी मेडिकल कालेज सोसायटी,भोपाल

क्रमांक /एम0सी0/15/2016 भोपाल, दिनांक / 6/2016

प्रति,

मध्यप्रदेश स्टेट इलैक्ट्रांनिक्स
डेवलपमेंट कार्पोरीशन लिमिटेड
स्टेट आई.टी.सेन्टर,47–ए, अरेरा हिल्स,भोपाल ।

विषय:– सुरक्षा व्यवस्था की निविदा ई–टेन्डर में संशोधन किये जाने के संबंध में ।

00000

विषयान्तर्गत लेख है कि गांधी चिकित्सा महाविंद्यालय एवं उससे संबंद्ध हमीदिया/सुल्तानिया महिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा ई–टेन्डर किया गया था। उस टेन्डर में निम्नलिखित संशोधन किया जाना है :–

1. सुरक्षा सुपरवाईजर का न्यूनतम वेतन – कलेक्टर द्वारा घोषित कुशल की दर से ।
2. सुरक्षा गार्ड का न्यूनतम वेतन – कलेक्टर द्वारा घोषित अकुशल की दर से ।
3. निविदा आफ लाईन एवं आनलाईन दोनों जमा करना अनिवार्य होगा ।
4. समान दरे प्राप्त होने की स्थिति में फानेशियल बिड खोलने की तिथी आयोजित बैठक में निर्णय लिया जायेगा ।
5. सर्विस चार्ज के संबंध में– सर्विस चार्ज की राशि प्रतिशत में (अंकों एवं शब्दों में) अंकित किया जावे ।
6. संर्विस टैक्स के संबंध में :– संर्विस टैक्स नियमानुसार भुगतान करना होगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति,भोपाल

वार्डवाय का वेतन	राशि रुपये
1. न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दिनांक 17.08.2016 की स्थिति में अकुशल दर (न्यूनतम दर से कम नहीं)	
2. ई. पी. एफ. (निविदाकार द्वारा दिया गया अंशदान दिनांक 17.08.2016की स्थिति में)	
3. ई. एस. आई. सी. (दिनांक 17.08.2016 की स्थिति में)	
4. सेवा कर (दिनांक 17.08.2016 की स्थिति में)	
5. सर्विस चार्ज	
6. सरल क्रमांक 1 से 5 तक का कुल योग :—	